जांच करना, पता लगाना और उनकी रोकथाम करने की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है । जब कभी इस प्रकार की घटनाएं सूचित की जाती हैं तो वे उपयुक्त कार्रवाई करते हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति अत्याचारों के मामलों में आवश्यक सतर्कता बरतने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं ।

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति की गई बलात्कार की घटनाएं

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	6
5.	गोवा	0
6.	गुजरात	उ०न०
7.	हरियाणा	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0
10.	कर्नाटक	0
11.	केरल	13
12.	मध्य प्रदेश	217
13.	महाराष्ट्र	20
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	0
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	0
18.	उड़ीसा	4
19.	पंजाब	0
20.	राजस्थान	32
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	0
23.	त्रिपुरा	0
24.	उत्तर प्रदेश	0
25.	पश्चिम बंगाल	1
		(जून, 1992 तक)
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
27.	चण्डीगढ़	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0
29.	दमण और दीव	उ० न०
30.	दिल्ली	0
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	0

तिहाड़ जेल में यौन संबंधी अपराध

2876. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट" ने अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा है कि तिहाड़ जेल में महिला कैदियों के साथ बड़े पैमाने पर यौन अपराध की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की कोई जांच कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है; और

(ग) क्या जेलों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के पास कोई व्यापक योजना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनको ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है । दिल्ली प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि महिला कैदियों को पृथक वार्डों में रखा जाता है तथा उनकी निगरानी करने वाले स्टाफ में महिलाएं होती हैं ।

(ग) तिहाड़ जेल में स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रशासन द्वारा कई उपाय किए गए हैं जिनमें अधिक जेलों का निर्माण करना, जल आपूर्ति बढ़ाना, सफाई की स्थिति में सुधार करना, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना शामिल है ।

Increasing Role of Army in Internal Security

2877. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Defence Ministry has expressed its serious concern at the increasing role of the army in internal security duties and about the deteriorating security system and dismal performance of the Central Police Organisations when deployed for internal security;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government with regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) to (c) Consequent to the Ministry of Defence offering certain suggestions about the prolonged deployment of Army on internal security duties, Ministry of Home Affairs have issued instructions to the State Govts. to ensure that Army's assistance is sought only as a last resort when, in their judgement, the situation is likely to go beyond the control of the State Police and the Units of the Central Police Organisations available with them.